न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 47 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सराकर जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़। जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.उबायेखां उर्फ ओमनखां पुत्र श्री उम्मेदअली उम्र 68 साल जाति मुसलमान निवासी ख्याला तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 06 / 2013 बनवान उबाये खां उर्फ ओमन खां बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2015 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री मोहम्मद अली रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 18.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम सगराम की ढाणी के वर्तमान खसरा संख्या 680 मे से रकबा 29 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2015 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि गांव रीवड़ी का मौजुदा भू प्रबंध संवत 2022 में प्रारंम्भ हुआ जिसका रेकर्ड संवत 2032 में तैयार होकर आया तथा वादी के पक्ष में आवंटन मौजूदा भू प्रबंध के दौरान होकर कब्जा वादी को दिया गया परन्तु तहसील प्रशासन ने वादी को किये इस आंवटन की सूचना मौजूदा भू प्रबंध अधिकारी को नहीं दी जिन्होने समरी बंदोबस्त के मूल खसरा संख्या 118 की रेकर्ड की प्रविष्टियों को आधार मान कर उसी प्रविष्टियों को दोहराते हुए वादी को आंवटित रकबा को बिला कब्जा खसरा संख्या 680 में मिला कर खसरा संख्या 680 जोड़ते हुए सरकारी खाते में बंजड़ दर्ज कर दिया। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार कर निर्णय गुणावगुण पर करना ज्यादा न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि रेस्पोडेंट(वादी) उबाये खां उर्फ ओभनखां पुत्र श्री उम्मेदअली निवासी ख्याला जाति मुसलमान के आवेदन(प्रदर्श–1) पर उसे दिनांक 03.07.1972 को सरहद मौजा रीवड़ी तहसील फतेहगढ के समरी खसरा संख्या 118 रकबा 29 बीघा भूमि (प्रदर्श–2) का आवंटन हुआ जिसका आवंटन आदेश(प्रदर्श–2) संख्या 652 से 652 (D)A है। हल्का पटवारी ने मौके पर वादी/रेस्पोडेंट को हदूदों दर्शाते हुए रसीद (प्रदर्श–3) कब्जा देकर दिनांक 10.12.1972 को काबिज करवाया। उसका नामांतकरण संख्या 53 (प्रदर्श–4) भरा गया। इस गैर खातेदारी के नामांतकरण में खसरा संख्या का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है बल्कि रकबा 29 बीघा दर्ज किया हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2068–2071 (प्रदर्श–5) के अनुसार ग्राम सगराम की ढाणी के खसरा संख्या 680 रकबा 111.18 बीघा (बंजड खेती के लिए उपलब्ध) राजकीय सिवायचक भूमि थी जिस पर दावा किया गया है। रिकॉर्ड पर अभिलेख (प्रदर्श–6 से प्रदर्श–9) अनुसार संवत 2060, 2064, 2065, 2068 (पुत्र अमर) में वादग्रस्त खसरा पर वादी का अतिक्रमण कब्जा काश्त प्रमाणित है। प्रस्तुत जुर्माना रसीद(प्रदर्श 12 से 16) वर्ष 2005, 2007, 2011 में उसकी कब्जा काश्त के सबूत है, जो प्रदर्श–11 से भी साबित है। साक्ष्य के आधार पर मौके पर वादी का आवंटित भूमि पर वक्त आवंटन से सुपुर्द कब्जा वाली हदूदों के मुताबिक और प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार ग्राम सगराम की ढाणी के खसरा संख्या 680 में उसका कब्जा काश्त है। वह वादग्रस्त भूमि पर आवास बनाकर निवासरत पाया गया है। उसको आवंटित समरी के खसरा संख्या

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

118 वाली 29 बीघा भूमि का नामांतकरण भरा गया परन्तु उसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद ही नहीं किया गया। आंवटन आदेश भी निरस्त नहीं होने के कारण प्रभावी है। प्रस्तुत न्यायकि दृष्टांत के आलोक में उसको काबिज काश्त भूमि के आधार पर खातेदारी देकर उसके पक्ष में अमल दरामद करना न्यायासंगत ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 06/2013 बनवान उबाये खां उर्फ ओभन खां बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2015 को यथावत रखा जाता है।

18/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner